अध्याय - I

राज्य सरकार के वित्त

सारांश

2003-04 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ (5638 करोड़ रुपये) 14 *प्रतिशत* वृद्धि दिखाती थी जबकि राजस्व व्यय (5406 करोड़ रुपये) पिछले वर्ष से दो प्रतिशत घट गया था जिसके कारण राजस्व आधिक्य (232 करोड़ रुपये) हुआ। फलतः राजकोषीय घाटा 2002-03 में 1720 करोड़ रुपये से वर्ष के दौरान 874 करोड़ रुपये तक घट गया।

2003-04 के दौरान पिछले वर्ष से 701 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियाँ में वृद्धि मुख्यतः बिक्री कर में 235 करोड़ रुपये (17 *प्रतिशत*) , केन्द्रीय कर स्थानांतरण से 277 करोड़ रुपये (16 *प्रतिशत*) केन्द्रीय सहायता अनुदान से 69 करोड़ रुपये (14 *प्रतिशत*) अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग से 117 करोड़ रुपये (15 *प्रतिशत*) के कारण हुई।

राजस्व प्राप्तियों का 55 *प्रतिशत* राज्य के स्वंय के कर से आया जबकि केन्द्रीय कर स्थानांतरण एवं सहायता अनुदान दोनों ने मिल कर कुल राजस्व के 45 *प्रतिशत* का अंशदान किया।

कर राजस्व के स्त्रोतों में बिक्री कर (81 *प्रतिशत*), राज्य उत्पाद (पाँच *प्रतिशत*) और वाहनों पर कर (पाँच *प्रतिशत*) मुख्य अंशदाता थे। कर भिन्न राजस्व स्त्रोतों में अलौह खनन एवं धातु कर्मीय उद्योग (83 *प्रतिशत*) तथा ब्याज प्राप्तियाँ (चार *प्रतिशत*) मुख्य अंशदाता थे।

राज्य का समग्र व्यय 2002-03 में 6660 करोड़ रुपये से दो *प्रतिशत* तक की ऋणात्मक वृद्धि के साथ 2003-04 में 6516 करोड़ रुपये तक घट गया। राजस्व व्यय (5406 करोड़ रुपये) कुल व्यय का 83 *प्रतिशत* था। वेतन, ब्याज भुगतान तथा पेंशन वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों का लगभग पैंसठ *प्रतिशत* उपभुक्त हुआ। राजकोषीय दायित्व (10569 करोड़ रुपये) 2003-04 के दौरान पिछले वर्ष से लगभग 19 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ बढ़ गया तथा राजस्व प्राप्तियों के लगभग दोगुणा तक हो गया।

यद्यपि ब्याज भुगतान 2002-03 में 1419 करोड़ रुपये से 2003-04 में 1182 करोड़ रुपये लगभग 17 *प्रतिशत* तक घट गया, ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 18 *प्रतिशत* की अवसीमा से ब्याज भुगतान से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 21 *प्रतिशत* महत्वपूर्ण रूप से अधिक था।

अपने सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचना आधार को बढ़ाने हेतु उधार लेना, राज्य के लिए असामान्य नहीं है। तथापि, राज्य को या तो अपनी वर्त्तमान परिसंपत्तियों से अधिक राजस्व बढ़ाना है या अपनी वित्तीय दक्षता बढाने हेतु ऋण दायित्वों को पूरा करना चालू राजस्व से प्रदान करना है। बाजार उधारों द्वारा ब्याज की कम दर पर उच्च मूल्य का ऋण लेना सही दिशा में उठाया गया कदम है।

1.1 प्रस्तावना

झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे उन्नीस विवरणियों में प्रदर्शित किये गये है जिसमें झारखण्ड राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि, तथा लोक लेखे में प्राप्ति एवं व्यय, राजस्व के साथ - साथ पूँजी भी है। वित्त लेखे का चित्रण बाक्स 1.1 में दर्शाया गया है।

बाक्स 1.1

वित्त लेखे का चित्रण

विवरणी संख्या - 1 राज्य सरकार के लेन - देन का सार प्रस्तुत करती है - राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे में प्राप्तियाँ तथा व्यय, राजस्व एवं पूँजी, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं संवितरण इत्यादि।

विवरणी संख्या - 2 में 2003-04 की समाप्ति तक प्रगामी व्यय दर्शाने वाले पूँजीगत व्यय की संक्षेपित विवरणी सम्मिलित है।

विवरणी संख्या - 3 सिंचाई कार्यों ,उनकी राजस्व प्राप्तियाँ, कार्यचालन व्यय तथा अनुरक्षण प्रभारों, पूँजीगत परिव्यय, शुद्ध लाभ या हानि इत्यादि• के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करती है।

विवरणी संख्या - 4 राज्य की ऋण स्थिति का संक्षेप सूचित करती है जिसमें राज्य सरकार के आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, अन्य दायित्व एवं ऋण की सेवायें सम्मिलित है।

विवरणी संख्या - 5 वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों, किये गये पुनर्भुगतानों, बकायों की वसूलियों आदि का संक्षेप प्रस्तुत करती है।

विवरणी संख्या - 6 सांविधिक निगमों, स्वायत्त निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उठाये गये ऋण इत्यादि के पुर्नभुगतान हेतु सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का संक्षेप प्रस्तुत करती है*।

विवरणी संख्या - 7 नकद शेषों तथा ऐसे शेषों में से किये गये निवेशों का संक्षेप प्रस्तुत करती है।

विवरणी संख्या - 8 31 मार्च 2004 को समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अंतर्गत शेषों का संक्षेप वर्णन करती है।

विवरणी संख्या - 9 वर्ष 2003-04 हेतु विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राजस्व एवं व्यय को, कुल राजस्व/व्यय की प्रतिशतता के रूप में दर्शाती है।

• बिहार एवं झारखण्ड के मध्य दायित्वों तथा परिसम्पत्तियों का बँटवारा नहीं होने के कारण तैयार नहीं हुआ।

विवरणी संख्या - 10 वर्ष के दौरान किये गये भारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को सूचित करती है।
विवरणी संख्या -11 लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों के विस्तृत लेखे को प्रस्तुत करती है।

विवरणी संख्या - 12 योजनेत्तर, राज्य योजना तथा केन्द्र संपोषित योजनाओं के अंतर्गत पृथकत: लघु शीर्षों द्वारा व्यय एवं मुख्य शीर्षवार पूँजीगत व्यय के लेखे दर्शाती है।

विवरणी संख्या - 13 2003-04 की समाप्ति तक तथा के दौरान किये गये विस्तृत पूँजीगत व्यय को दर्शाती है।

विवरणी संख्या - 14 सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों आदि में 2003-04 की समाप्ति तक राज्य सरकार के निवेश के ब्यौरे दर्शाती है।

विवरणी संख्या - 15 2003-04 की समाप्ति तक पूँजीगत एवं अन्य व्यय तथा प्रमुख स्त्रोत, जिनसे निधियाँ उस व्यय हेतु प्रदान की गयी थी, को वर्णित करती है।

विवरणी संख्या - 16 ऋण, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणों एवं शेषों के विस्तृत लेखे प्रस्तुत करती है।

विवरणी संख्या - 17 झारखण्ड सरकार के ऋण एवं अन्य ब्याज वाले दायित्यों के विस्तृत लेखे प्रस्तुत करती है।

विवरणी संख्या - 18 झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों,वर्ष के दौरान पुर्नभुगतान की गयी ऋण की राशि, 31 मार्च 2004 को शेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज की राशि, का विस्तृत लेखा दर्शाती है।

विवरणी संख्या - 19 आरक्षित निधियों के उदिद्ष्ट शेषों का विवरण देती है।

1.2 गत वर्ष के संदर्भ में वित्त की प्रवृत्ति

गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित थी :-

(करोड़ रुपये में)

2002-03	क्रमांक	मुख्य योग	2003-04
4937	**1**	**राजस्व प्राप्तियाँ (2+3 + 4)**	**5638**
1750	2	कर राजस्व	1986
987	3	कर-भिन्न राजस्व	1106
1703	4	केन्द्रीय कर स्थानान्तरण	1980
497		सहायता अनुदान	566
3	**5**	**गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ**	**4**
3	6	जिसमें से ऋण की वसूली	4
4940	**7**	**कुल गैर ऋण प्राप्तियाँ (1+5)**	**5642**

4584	**8**	**योजनेत्तर व्यय (9+11)**	**4402**
4484	9	राजस्व लेखे पर	4315
1419	10	जिसमें से ब्याज का भुगतान	1182
100	11	पूँजीगत लेखे पर	87
100	12	जिसमें से ऋण संवितरित किये गये	87
2076	**13**	**योजनागत व्यय (14+15)**	**2114**
1025	14	राजस्व लेखे पर	1091
1051	15	पूँजीगत लेखे पर	1023
185	16	जिसमें से ऋण संवितरित किये गये	47
6660	**17**	**कुल व्यय (8+13)**	**6516**
1720	18	राजकोषीय घाटा (17-1-5)	874
(-) 572	19	राजस्व घाटा (-) /आधिक्य (+) / (1-9-14)	(+) 232
(-) 301	20	प्राथमिक घाटा (-) आधिक्य (+) (10-18)	(+) 308

1.3 प्राप्तियों एवं संवितरणों का संक्षेप

तालिका 1 वर्ष 2003-04 हेतु झारखण्ड के वित्त को संक्षेपित करती है जो कि वर्ष के दौरान की गयी राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं व्यय,लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरण एवं लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों को आवृत करती है जैसा कि लेखे की विवरणी 1 तथा अन्य विस्तृत विवरणियों में उदधृत है।

तालिका 1 वर्ष 2003-04 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का संक्षेप

(करोड़ रुपये में)

2002-03	प्राप्तियाँ	2003-04	2002-03	संवितरण	2003-04		
अनुभाग - क - राजस्व							
					गैर योजना	**योजना**	**कुल**
4936.78	I. राजस्व प्राप्तियाँ	5637.77	5509.48	I. राजस्व व्यय	4314.94	1090.99	5405.93
1750.30	कर राजस्व	1986.22	2752.53	सामान्य सेवायें	2429.26	179.28	2608.54
987.14	कर - भिन्न राजस्व	1105.55	1935.36	सामाजिक सेवायें	1427.74	441.01	1868.75
1702.52	संधीय शुल्क एवं कर का हिस्सा	1979.73	820.87	आर्थिक सेवायें	457.42	470.70	928.12
496.82	भारत सरकार से अनुदान	566.27	0.72	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.52	-	0.52

अनुभाग - ख - पूँजीगत							
-	II. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	865.91	II. पूँजीगत परिव्यय	-	975.72	975.72
3.23	III. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	3.94	284.92	III. ऋण एवं अग्रिम संवितरित	86.32	47.21	133.53
1889.24	IV. लोक ऋण प्राप्तियाँ *	2422.33	985.50	IV. लोक ऋण का पुर्नभुगतान			987.01
--	V. आकस्मिकता निधि से स्थानान्तरण			V. आकस्मिकता निधि से व्यय			128.34
3049.26	VI. लोक लेखा प्राप्तियाँ	3112.82	2433.95	VI. लोक लेखा संवितरण			2912.54
448.86	आरम्भिक रोकड़ शेष	247.61	247.61	रोकड़ अंतशेष			881.40
10327.37	कुल	11,424.47	10327.37	कुल	--	--	11,424.47

*शुद्ध अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभर ड्राफ्ट सम्मिलित हैं।

1.4 लेखापरीक्षा पद्धति

वित्त लेखे पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ सावधिक तुलना एवं आँकड़ों की समय श्रेणी (**परिशिष्ट II से V**) की दृष्टि से प्राप्तियों एवं व्यय की मुख्य राजकोषीय समग्रता में प्रवृत्ति को दर्शाती हैं।

इस प्रयोजन हेतु अपनाये गये मूल संकेतक हैं (i) प्रमात्रा एवं स्त्रोत द्वारा संसाधन (ii) संसाधानों का अनुप्रयोग (iii) परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व तथा (iv) घाटे का प्रबंधन। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में संसाधन संग्रहण प्रयासों के संचयी प्रभाव, ऋण सेवा एवं सुधारात्मक राजकोषीय उपायों को भी परिगणना में लिया गया है। राज्य सरकार का एक सामूहिक निकाय के रूप में समग्र वित्तीय निष्पादन, राजकोषीय समग्रता की संमबंधात्मक व्याख्या हेतु सामान्यतः अपनाये गये अनुपातों के सेट के अनुप्रयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवेदित प्राचल बॉक्स 1.2 में दर्शाये गये हैं।

बॉक्स 1.2: प्रतिवेदित प्राचल

राजकोषीय समग्रता जैसे कर एवं कर-भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक एवं बाह्य ऋण और राजस्व एवं राजकोषीय घाटा चालू बाजार मूल्यों पर जी.एस.डी.पी. की प्रतिशतताओं के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। राज्य सरकार के आर्थिक एवं साँख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रकाशित 1993-94 के आधार पर नयी जी एस डी पी श्रेणी का उपयोग किया गया है। अत: वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के लिए संबन्धित तालिकाओं* में प्रतिशत/अनुपात जैसा कि पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित हुआ था, बदल गया है।

कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व ,राजस्व व्यय इत्यादि हेतु उत्प्लावकता प्रेक्षपण जी एस डी पी द्वारा निरूपित आधार के संदर्भ में अस्थिरताओं की श्रृंखला के आगे अनुमान हेतु भी दिये गये हैं। यहाँ प्रयुक्त कुछ शब्दों की व्याख्या ***परिशिष्ट I*** में की गयी है।

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखा जैसा कि वाक्स 1.3 में परिभाषित किया गया है।

बॉक्स 1.3: राज्य सरकार निधियाँ एवं लोक लेखा

समेकित निधि	आकस्मिकता निधि	लोक लेखा
भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (i) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों के निर्गमन द्वारा सृजित सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋण के पुर्नभुगतान से प्राप्त सभी राशि एक समेकित निधि का निर्माण करेगी जिसे 'राज्य की समेकित निधि' कहा जाता है ।	भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (ii) के अंतर्गत स्थापित आकस्मिकता निधि अग्रदाय प्रकृति की है जो राज्य के राज्यपाल के अधीकाराधीन रखी जाती है ताकि राज्य विधायिका से प्राधिकार प्राप्त होने तक अत्यंत आवश्यक व्यय को पूरा किया जा सके। ऐसे व्यय के लिए तथा समतुल्य राशि समेकित निधि से अंतरण हेतु राज्य विधायिका का अनुमोदन बाद में प्राप्त कर लिया जाता है। जबकि आकस्मिकता निधि से अग्रिम निधि में वापस किया जाता है।	सरकार के सामान्य प्राप्तियों एवं व्यय के अतिरिक्त, जो समेकित निधि से संबंधित है, सरकारी लेखे में कुछ अन्य लेन - देन होते हैं जिसमें सरकार बैंकर की तरह काम करती है। भविष्य निधि, अल्प बचत, अन्य जमा आदि से संबन्धित लेन - देन इसके कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार प्राप्त लोक राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखा में रखी जाती है तथा इससे संबधित संवितरण किया जाता है।

1.5 मुख्य संकेतकों द्वारा राज्य वित्त

1.5.1 प्रमात्रा एवं स्त्रोतों द्वारा संसाधन

राज्य सरकार के संसाधन राजस्व प्राप्तियों एवं पूँजीगत प्राप्तियों से समायुक्त हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संधीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा

* तालिका 3, 4, 5, 7, 11, 16, 18 एवं 19

तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्तियाँ, विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे अपनियोजनों से आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ अर्थात् बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों इत्यादि से उधार तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखे से उपार्जन समाविष्ट हैं।

तालिका 2 दर्शाती है कि वर्ष 2003-04 हेतु राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ 11,177 करोड़ रुपये थीं। इसमें से राजस्व प्राप्तियाँ 5638 करोड़ रुपये थीं, जो कुल प्राप्तियों का 50 प्रतिशत होती है । शेष प्राप्तियाँ लोक लेखा एवं उधारों से आयी थीं।

तालिका - 2 झारखण्ड के संसाधन

(करोड़ रुपये में)

I. राजस्व प्राप्तियाँ		***5638***
II. पूँजीगत प्राप्तियाँ		***2426***
क - विविध प्राप्तियाँ	-	
ख - ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	*4*	
ग - लोक ऋण प्राप्तियाँ	*2422*	
III. लोक लेखा प्राप्तियाँ		***3113***
क. लघु बचत, भविष्य निधि आदि	*368*	
ख. आरक्षित निधि	*155*	
ग. जमा एवं अग्रिम	*1185*	
घ.उचंत एवं विविध	*106*	
ड. प्रेषण	*1299*	
कुल प्राप्तियाँ		***11,177***

2000-2004 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों के स्त्रोत एवं जी.एस.डी.पी. तालिका-3 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 3 - प्राप्तियों के स्त्रोत: प्रवृत्तियाँ

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	पूँजीगत प्राप्तियाँ			कुल प्राप्तियाँ	राज्य का सकल घरेलू उत्पाद
		गैर ऋण प्राप्तियाँ	ऋण प्राप्तियाँ	लोक लेखा में अर्जन		
2000-01	1964	1	266	840	3071	10853
2001-02	4495	2	1585	1940	8022	30774
2002-03	4937	3	1889	3049	9878	33675
2003-04	5638	4	2422	3113	11,177	37574

1.5.2 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे की विवरणी 11 सरकार की राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा देती है। समग्र राजस्व प्राप्तियाँ, उनकी वार्षिक वृद्धि दर, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) से इन प्राप्तियों का अनुपालन तथा उनकी उत्प्लावकता तालिका 4 में दर्शायी गयी है।

तालिका 4: राजस्व प्राप्तियाँ - मूल प्राचल

(करोड़ रुपये में)

	2000-01*	2001-02	2002-03	2003-04
राजस्व प्राप्तियाँ (करोड़ रुपये में)	1964	4495	4937	56. 38
स्वयं के कर (प्रतिशत)	35.6	35.3	35.4	35.2
कर-भिन्न राजस्व (प्रतिशत)	17.8	18.9	20.0	19.6
केन्द्रीय कर स्थानान्तरण (प्रतिशत)	29.5	35.7	34.5	35.1
सहायता अनुदान (प्रतिशत)	17.1	10.1	10.1	10.1
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	नया राज्य	निर्धारित नहीं	9.8	14.2
राजस्व प्राप्तियाँ/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	18.1	**14.6	**14.7	15.0
राजस्व उत्प्लावकता (अनुपात)	--	---	**1.04	1.22
स.रा.घ.उ. वृद्धि (प्रतिशत)	--	--	**9.4	11.6

***झारखण्ड का निर्माण 15 नवम्वर 2000 को हुआ। इसलिए आँकडे मात्र साढ़े चार महीने के लिए हैं। इसलिए 2000-01 एवं 2001-02 के लिए वृद्धि की दर का निर्धारण नहीं हुआ।**

****राज्य के घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षण के कारण राज्य द्वारा आपूरित जी.एस.डी.पी. के नये आँकड़ों के अनुसार वृद्धि दर निर्धारित की गयी है।**

राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 2002-03 में 4937 करोड़ रुपये से 2003-04 में 5638 करोड़ रुपये तक बढ़ गयीं । पिछले वर्ष से 14 प्रतिशत इसके बढ़ने का मुख्य कारण बिक्री कर (235 करोड़ रुपये) माल एवं यात्रियों पर कर (15 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय कर स्थानान्तरण (277 करोड़ रुपये) था जबकि कर - भिन्न राजस्व में मुख्यत: अलौह खनन एवं धातु कर्मीय उद्योग (117 करोड़ रुपये) में बढोत्तरी थी।

जबकि 2003-04 के दौरान राजस्व का औसतन लगभग 55 प्रतिशत राज्य के अपने स्त्रोतों से आया था, केन्द्रीय कर स्थानान्तरण तथा सहायता अनुदान ने कुल राजस्व का लगभग 45 प्रतिशत अंशदान करना जारी रखा। बिक्री कर ,राज्य के स्वंय के कर राजस्व का मुख्य स्त्रोत था जिसने कर राजस्व का 81 प्रतिशत अंशदान किया जो राज्य उत्पाद (पाँच प्रतिशत) वाहनों पर कर (पाँच प्रतिशत) इत्यादि से अनुसरित था। कर-भिन्न राजस्व के स्त्रोतों में अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग (83 प्रतिशत) एवं ब्याज प्राप्तियाँ (चार प्रतिशत) मुख्य अंशदायी थे।

2003-04 के लिए राजस्व प्राप्तियाँ
(सापेक्ष अंश प्रतिशत में)

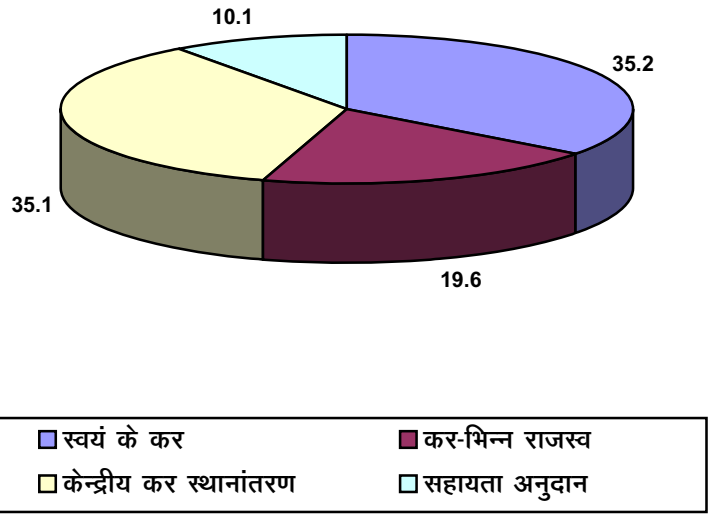

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

1.6.1 कुल व्यय की वृद्धि की प्रवृत्ति

वित्त लेखे की विवरणी 12 लघु शीर्षों द्वारा विस्तृत राजस्व व्यय और मुख्य शीर्ष द्वारा पूँजीगत व्यय दर्शाती है। राज्य का कुल व्यय 2002-03 में 6660 करोड़ रुपये से 2003-04 में 6516 करोड़ रुपये तक घट गया था।

राज्य के जी.एस.डी.पी. से कुल व्यय, इसकी वार्षिक वृद्धि दर व्यय का अनुपात तथा राजस्व प्राप्तियों से और जी.एस.डी.पी. के सम्बंध में इसकी उत्प्लावकता तथा राजस्व प्राप्तियाँ तालिका पाँच में दर्शायी गयी है।

तालिका 5: कुल व्यय - मूल प्राचल

	2000-01●●	2001-02	2002-03	2003-04
कुल व्यय # (करोड़ रुपये में)	1323	5862	6660	6516
वृद्धि की दर (प्रतिशत)	--	--	13.6	(-) 2.2
कु.व्य./स.रा.घ.उ.(प्रतिशत)	12.2	19.0	19.8	17.3
राजस्व प्राप्तियाँ/कु.व्य.(प्रतिशत)	नया राज्य	76.7	74.1	86.5
से कुल व्यय की उत्प्लावकता				
स.रा.घ.उ. (अनुपात)	--	-	1.45	*
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	--	-	1.38	*

●● झारखण्ड का निर्माण 15 नवम्बर 2000 को हुआ था। इसलिए आँकड़े मात्र साढ़े चार महीने के लिए हैं। अत: 2000-01 एवं 2001-02 के लिए वृद्धि की दर का निर्धारण नहीं हुआ था।

 # कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।

*** कुल व्यय में ऋणात्मक वृद्धि थी।**

2003-04 में कुल व्यय से राजस्व प्राप्तियों के अनुपात से प्रदर्शित हुआ कि राज्य के कुल व्यय का लगभग 87 प्रतिशत इसके चालू राजस्व से पूरा किया गया था, शेष को उधार पोषित करने हेतु छोड़ दिया।

कुल व्यय की वृद्धि
(करोड़ रुपये में)

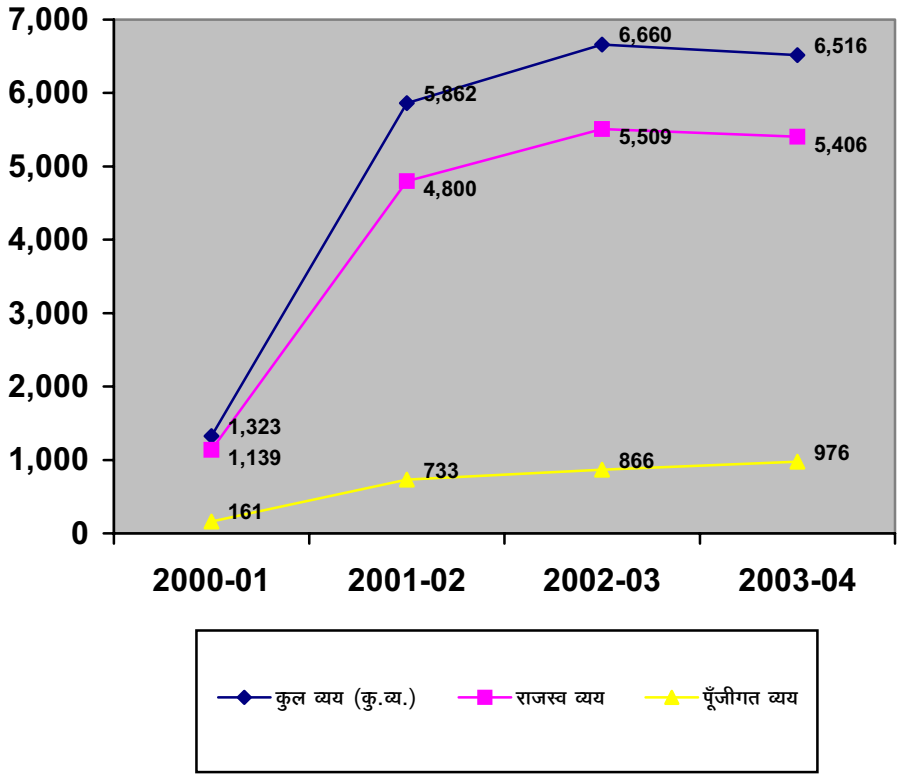

गतिविधियों के रूप में, कुल व्यय, ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें तथा ऋण एवं अग्रिमों पर व्यय से समायुक्त होने के कारण विचारित किया जा सकता था। कुल व्यय में इन घटकों के सापेक्ष भाग तालिका 6 में दर्शाया गया है।

तालिका 6 व्यय के घटक - सापेक्ष भाग (प्रतिशत में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
सामान्य सेवायें	30.8	21.8	20.5	22.4
सामाजिक सेवायें	33.3	34.5	31.5	30.6
आर्थिक सेवायें	28.1	28.4	22.4	26.8
सहायता अनुदान	- -	*	*	*
ऋण एवं अग्रिम	1.7	5.6	4.3	2.1
ब्याज भुगतान	6.1	9.7	21.3	18.1

*** सहायता अनुदान का प्रतिशत मात्र 0.01 था इसलिए दर्शाया नहीं गया।**

व्यय के इन घटकों के सापेक्ष हिस्सों की गति ने दर्शाया कि जबकि कुल व्यय में सामान्य सेवाओं (ब्याज सहित) एवं सामाजिक सेवाओं का हिस्सा 2002-03 में घट कर 41.8 प्रतिशत एवं 31.5 प्रतिशत से 2003-04 में क्रमश: 40.5 प्रतिशत एवं 30.6 प्रतिशत तक हो गया था, आर्थिक सेवाओं का सापेक्ष हिस्सा 2002-03 में 22.4 प्रतिशत से 2003-04 में 26.8 प्रतिशत तक बढ़ गया था।

2003-04 के व्यय का सापेक्ष अंश प्रतिशत में

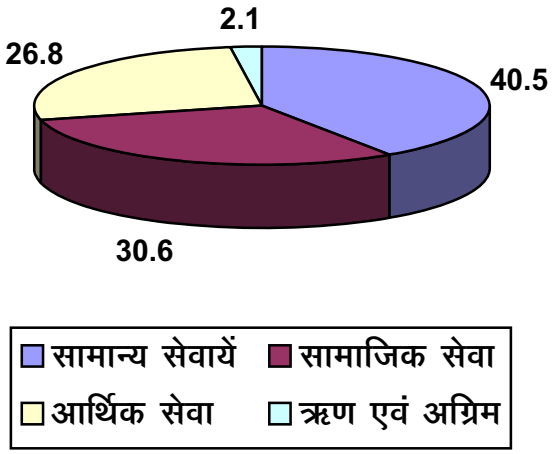

1.6.2 राजस्व व्यय का प्रभाव

राजस्व व्यय का कुल व्यय में सर्वाधिक हिस्सा था। राजस्व व्यय सामान्यत: सेवाओं का वर्तमान स्तर अनुरक्षित करने और पिछले दायित्व के भुगतान हेतु किया जाता है और इसलिए राज्य की आधारभूत संरचना तथा सेवा तंत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई।

समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, जी.एस.डी.पी. से राजस्व व्यय का अनुपात तथा राजस्व प्राप्तियाँ एवं जी एस डी पी और राजस्व प्राप्तियों दोनों से इसकी उत्प्लावकता तालिका 7 में नीचे दर्शायी गयी है।

तालिका 7: राजस्व व्यय - मूल प्राचल

	2000-01●●	2001-02	2002-03	2003-04
राजस्व व्यय (करोड़ रुपये में)	1139	4800	5509	5406
वृद्धि की दर (प्रतिशत)	नया राज्य	नया राज्य	14.8	(-) 1.9
रा.व्य./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	10.5	15.6	16.4	14.4
कु.व्य. का रा.व्य. से प्रतिशत के रूप में	86.1	81.9	82.7	8.30
राजस्व प्राप्तियों से रा.व्य. के प्रतिशत के रूप में	58.0	106.8	111.6	95.9
से राजस्व व्यय की उत्प्लावकता				
स.रा.घ.उ. (अनुपात)	नया राज्य	- --	1.57	*
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	नया राज्य	---	1.50	*

●● झारखण्ड का निर्माण 15 नवम्वर 2000 को हुआ था। इस लिए आँकड़े मात्र साढ़े चार महीने के लिए हैं। अत: 2000-01 एवं 2001-02 के लिए वृद्धि की दर का निर्धारण नहीं हुआ था।
*** राजस्व व्यय की ऋणात्मक वृद्धि थी।**

राज्य का राजस्व व्यय 2002-03 के 5509 करोड़ रुपये से 2003-04 में 5406 करोड़ रुपये तक घट गया था। वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में घटोत्तरी मुख्यत: ब्याज भुगतान (237 करोड़ रुपये) सामान्य शिक्षा (44 करोड़ रुपये) तकनीकी शिक्षा (28 करोड़ रुपये) ग्रामीण रोजगार (25 करोड़ रुपये) इत्यादि के अंतर्गत कमतर व्यय के कारण था। पुलिस (61 करोड़ रुपये) अन्य परिवहन सेवायें (50 करोड़ रुपये) पेंशन एवं अन्य सेवानिवत्ति लाभों (41 करोड़ रुपये) उद्योग (39 करोड़ रुपये) इत्यादि के अंतर्गत पिछले वर्ष की तुलना में अधिक व्यय के कारण था।

2003-04 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय के 83 प्रतिशत के लिए लेखापित किया गया। यह व्यय सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ के हिस्से (कुल व्यय का 87 प्रतिशत) से कमतर था, जिसके कारण राजस्व अधिक हुआ। राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का अनुपात 2002-03 में 112 प्रतिशत से 2003-04 में 96 प्रतिशत तक घट गया था। केवल वेतन (1932 करोड़ रुपये) ब्याज पुर्नभुगतान (1182 करोड़ रुपये) एवं पेंशन (560 करोड़ रुपये) पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का 68 प्रतिशत लेखापित किया गया तथा वर्ष के दौरान राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 65 प्रतिशत उपभुक्त हुआ।

1.7 प्रतिबद्ध व्यय

1.7.1 उच्च वेतन व्यय एवं पेंशन भुगतान

वेतन और पेंशन अकेले राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 44 प्रतिशत के लगभग लेखापित किये गये। वेतन एवं पेंशन पर व्यय 2002-03 के 1763 करोड़ रुपये से 2003-04 में 2492 करोड़ रुपये तक 41.35 प्रतिशत की औसत दर प्रवृत्ति से बढ़ गया था। तदन्तर,

15 नवम्वर 2000 से पूर्ववर्त्ती संयुक्त राज्य के बँटवारे के फलस्वरूप बिहार एवं झारखण्ड के मध्य पेंशन दायित्वों के वियोजन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है (दिसम्वर 2004) । फलतः 2003-04 के दौरान पेंशन के अंतर्गत 345 करोड़ रुपये की बचत थी।

तालिका 8: वेतन एवं पेंशन

(करोड़ रुपये में)

शीर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
वेतन एवं पेंशन व्यय	उ. न. *	1834	1763	2492
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में	उ. न.	38.2	32.0	46.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में	उ. न.	40.8	35.7	44.2

*** झारखण्ड का निर्माण 15 नवम्वर 2000 को हुआ था। साढे चार महीने के लिए वेतन आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।**

सेवानिवृत्तों की संख्या में वृद्धि के कारण, पेंशन देयताओं को आगे भविष्य में बढ़ने की संभावना है। राज्य सरकार ने, राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तेजी से बढते पेंशन दायित्वों को पूरा करने हेतु कोई निधि नहीं बनायी है। दर, जिस पर पेंशन देयतायें बढ़ रही हैं, को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पेंशन योजनाओं में सुधार किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

1.7.2 ब्याज भुगतान

ग्यारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा (अगस्त 2000) की है कि मध्यम अवधि लक्ष्य के रूप में, राज्यों को राजस्व प्राप्तियों से अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान 18 प्रतिशत तक रखने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता से ब्याज भुगतान 2002-03 के दौरान 29 प्रतिशत के विरूद्ध 2003-04 के दौरान 21 प्रतिशत तक गिर गया है, यह अभी तक ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अनुपात से अधिक है।

जैसा कि तालिका 9 में दर्शाया गया है यद्यपि ब्याज भुगतान 17 प्रतिशत तक घट गया था, यानि 2002-03 में 1419 करोड़ से 2003-04 में 1182 करोड़ रुपये तक, घाटे को पूरा करने के लिए उधारों पर लगातार आश्रित रहने के कारण प्राथमिक शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाज्यिक कल्याण योजनाओं पर व्यय बढ़ गया।

तालिका 9: ब्याज भुगतान

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय	ब्याज भुगतान	के संदर्भ में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	
	(करोड़ रुपये में)			राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय
2000-01	1964	1139	81♥	4	7
2001-02	4495	4800	568	13	12
2002-03	4937	5509	1419	29	26
2003-04	5638	5406	1182	21	22

♥ झारखण्ड का निर्माण 15 नवम्वर 2000 को हुआ था। इसलिए आँकड़े साढ़े चार महीने के लिए हैं।

1.7.3 भविष्य निधि पर ब्याज का तदर्थ समायोजन

राज्य सरकार का भविष्य निधि संगठन कर्मचारियों की भविष्य निधि के लेखे के ब्यौरे के संधारण हेतु उत्तरदायी है। राज्य सरकार ने राज्य भविष्य निधि के शेष से समायोजित होने वाली ब्याज की आवश्यक राशि को महालेखाकार (ले.एवं ह.) को सूचित नहीं किया। इसके अभाव में महालेखाकार (ले.एवं ह.) राज्य के पुर्नगठन के पूर्व राज्य सरकार की सहमति के आधार पर तदर्थ आधार पर ब्याज की राशि का समायोजन कर रहे थे। इसका कारण भविष्य निधि लेखे का संधारण बकाये में होना था तथा दो राज्यों के मध्य भविष्य निधि शेष का बँटवारा नहीं हुआ था।

भविष्य निधि लेखे का समय से पूरा होना आवश्यक है ताकि लेखे में सही स्थिति दिखने के लिए अंशदाताओं को समायोजन हेतु वास्तविक राशि आकलित हो।

1.8 आबंटित प्राथमिकताओं द्वारा व्यय

वित्त लेखे की विवरणी 12 से प्राप्त योजनागत व्यय, पूँजीगत व्यय तथा विकासशील व्यय के रूप में राज्य के व्यय की गुणवत्ता को दर्शाता है। कुल व्यय से इन घटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर प्राक्कलित होगी। नीचे की तालिका 10 राज्य के कुल व्यय में इन घटकों के व्यय की प्रतिशतता के अंश देती है।

तालिका 10: व्यय की गुणवत्ता

(कुल व्यय से प्रतिशत)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
योजनागत व्यय	27.2	36.1	29.7	32.4
पूँजीगत व्यय	12.4	13.3	13.6	15.3
विकासशील व्यय	62.5	66.6	56.3	58.6

योजनागत, पूँजीगत एवं विकासशील व्यय 2003-04 के दौरान सापेक्ष बढोत्तरी को दर्शाते हैं। योजनागत व्यय 2002-03 में कुल व्यय के 29.7 प्रतिशत से 2003-04 में 32.4 प्रतिशत तक बढ़ गया। 2002-03 में 13.6 प्रतिशत से 2003-04 में 15.3 प्रतिशत तक की बढोत्तरी चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, मुख्य एवं मध्यम सिंचाई तथा लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय बढ़ने के कारण था।

विकासशील व्यय (3740 करोड़ रुपये) में से सामाजिक सेवायें (1995 करोड़ रुपये) 2003-04 के दौरान 53 प्रतिशत के लिए लेखापित किया गया। सामान्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास ने सामाजिक क्षेत्र पर व्यय का लगभग तीन चौथाई (74 प्रतिशत) उपभुक्त किया।

तालिका 11: सामाजिक क्षेत्र व्यय

(करोड़ रुपये में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
शिक्षा, क्रीड़ा,कला एवं संस्कृति	286(2.6) *	1035(3.4)	1088(3.2)	1023 (2.7)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	62 (0.6)	272 (0.9)	245 (0.7)	238 (0.6)
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	21 (0.2)	216 (0.7)	267 (0.8)	213 (0.6)
कुल	**369**	**1523**	**1600**	**1474**

*** स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता कोष्ठकों में**

इसी प्रकार, आर्थिक सेवाओं (1745 करोड़ रुपये) पर व्यय वर्ष के दौरान विकासशील व्यय का 47 प्रतिशत लेखापित किया गया। जिसमें से विद्युत् (98 करोड़ रुपये) सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण (359 करोड़ रुपये) एवं परिवहन (274 करोड़ रुपये) को आर्थिक क्षेत्र पर व्यय का 42 प्रतिशत लेखापित किया गया। सरकार द्वारा परिवहन पर व्यय में राज्य में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 50 करोड़ रुपये दिया जाना भी सन्निहित है।

तालिका - 12 आर्थिक क्षेत्र व्यय

(करोड़ रुपये में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
उर्जा	-- --	33	141	98
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	71	236	261	359
परिवहन	38	451	232	274
कुल	**109**	**720**	**634**	**731**

1.9 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

स्वायत्त निकाय एवं प्राधिकरण, गैर-वाणिज्यिक कार्य एवं सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को निष्पादित करते हैं। ये निकाय और प्राधिकरण सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। सरकार अन्य संस्थाओं, जो सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सहकारी समिति अधिनियम कम्पनी अधिनियम 1956 आदि के अंतर्गत पंजीकृत हैं, को भी पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सरकार द्वारा अनुदान मुख्यतः शैक्षणिक संस्थाओं,अस्पतालों, धर्मार्थ संस्थाओं, विद्यालयों एवं अस्पतालों के भवनों के निर्माण एवं अनुरक्षण, सड़कों के सुधार तथा नगर पालिकाओं एवं स्थानीय निकायों के अंतर्गत अन्य सम्प्रेषण सुविधायें हेतु दिया जाता है।

2000-04 की अवधि के दौरान विभिन्न निकायों इत्यादि को प्रदत्त सहायता की प्रमात्रा निम्नवत थी :-

तालिका 13

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	निकाय/प्राधिकरण आदि	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	विश्वविद्यालय एवं शैक्षिणिक संस्थान	60.41	200.94	234.82	219.59
2	नगर निगम एवं नगर पालिकायें	1.99	39.58	44.20	18.18
3	जिला परिषद् एवं पंचायती राजस्व संस्थान	0.46	शून्य	7.75	21.29
4	विकासशील अभिकरण	0.19	10.46	97.01	101.67
5	अन्य संस्थान (सांविधिक निकायों सहित)	6.54	115.93	75.32	91.43
	कुल	**69.59**	**366.91**	**459.10**	**452.16**
	राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सहायता	4	8	9	8
	राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	6	8	8	8

1.10 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

सरकारी लेखाकरण सरकार द्वारा अधिकृत स्थायी परिसम्पत्तियों अर्थात भूमि, भवनों आदि का व्यापक लेखाकरण नहीं करता। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को अभिगृहित करते हैं। वित्त लेखा की विवरणी 17 के ब्यौरे के साथ पठित विवरणी 16 ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत वर्षान्त शेषों को दर्शाती हैं जिससे दायित्व एवं परिसम्पत्तियाँ संगणित की जाती है। परिशिष्ट II, 31 मार्च 2004 के ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का तदनुरूपी स्थिति के साथ तुलना करके 31 मार्च 2003 को सार प्रस्तुत करती है। जबकि इन विवरणियों में दायित्व मुख्यत: राज्य सरकार द्वारा अधिकृत धन जैसे आंतरिक उधारों, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों, लोक लेखा से प्राप्तियों एवं आरक्षण निधि से समायुक्त है। परिसम्पत्तियाँ मुख्यत: पूँजीगत व्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों तथा रोकड़ शेष से समायुक्त हैं।

वित्त लेखा में प्रदर्शित झारखण्ड सरकार के दायित्व, तथापि, पेंशन, सेवारत/सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को देय अन्य सेवानिवृत्ती लाभों, राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों/आश्वासन पत्रों को सम्मिलित नहीं करती जैसा कि तालिका 19 में दिखाया गया है, राज्य की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का अनुपात वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान क्रमश: 34 प्रतिशत,33 प्रतिशत एवं 44 प्रतिशत था। परिसंपत्तियों से दायित्वों के कम अनुपात होने का आंशिक कारण वास्तव में यह था कि राज्य ने संयुक्त बिहार से 5991 करोड़ रुपये की राशि का लोक ऋण दायित्व प्राप्त किया, परिसम्पत्तियों का बँटवारा अभी तक नहीं हुआ है (दिसम्बर 2004) ।

1.10.1 निवेश एवं वापसी

31 मार्च 2004 को राज्य सरकार ने नये राज्य के प्रारम्भ से सरकारी कम्पनियों एवं सहकारिताओं में 16.60 करोड़ रुपये निवेशित किये थे। इस निवेश पर सरकार को वापसी शून्य थी। संयुक्त बिहार राज्य द्वारा 14 नवम्वर 2000 तक संबंधित निगमों एवं

संयुक्त स्टॉक कम्पनियों के साथ-साथ इन संस्थानों में निवेश का उत्तरवर्त्ती राज्य बिहार एवं झारखण्ड के मध्य अनुभाजन नहीं हुआ है।

तालिका 14: निवेश पर वापसी

वर्ष	वर्षांत तक निवेश	वापसी	वापसी की प्रतिशतता	सरकारी उधार पर ब्याज की दर
	करोड़ रुपये में			(प्रतिशत)
2000-01	--	--	--	--
2001-02	13.99	शून्य	शून्य	8 से 10.82
2002-03	15.55	शून्य	शून्य	6.75 से 7.80
2003-04	16.60	शून्य	शून्य	5.85 से 6.40

1.10.2 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारिता समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में अपने निवेश के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थानों/संगठनों में से अनेक को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती आ रही है। 31 मार्च 2004 (तालिका -15) को अग्रिम में दिये ऋण का कुल बकाया 760.79 करोड़ रुपये पूर्ववर्त्ती संयुक्त राज्य बिहार को आबंटित राशि को छोड़ कर था। 2003-04 के दौरान इन अग्रिमों के विरूद्ध प्राप्त ब्याज पिछले वर्ष में 19.59 के विरूद्ध 6.70 प्रतिशत था। अधिकांश मामलों में, ऋण संस्वीकृत करने वाले आदेशों ने इन ऋणों के लिए नियम एवं शर्त्तों को विनिर्दिष्ट नहीं किये थे।

तालिका - 15

राज्य सरकार द्वारा अग्रमित ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(करोड़ रुपये में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
आरम्भिक शेष	शून्य	22.82	349.51	631.20
वर्ष के दौरान अग्रमित अग्रिम की राशि	23.46	329.18	284.92	133.53
वर्ष के दौरान लौटायी गयी राशि	0.64	2.49	3.23	3.94
अंत शेष	22.82	349.51	631.20	760.79
शुद्ध जोड़ (+) /घटाव (-)	शून्य	326.69	281.69	129.59
प्राप्त ब्याज (करोड़ रुपये में)	0.01	61.06	96.08	46.65
अग्रमित ऋणों से प्राप्त ब्याज की प्रतिशतता	शून्य	#32.80	19.59	6.70
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज (प्रतिशत)	उ.न.*	8.09	16.97	12.13
प्रदत्त एवं प्राप्त ब्याज भुगतान में अंतर (प्रतिशत)	उ.न. *	24.71	2.62	- 5.43

संयुक्त बिहार से झारखण्ड को बँटवारे में मिलने वाले ऋण के पुराने शेष पर अर्जित ब्याज सन्निहित है।

* उ. न.-उपलब्ध नहीं।

1.10.3 रोकड़ शेष का प्रबंधन

यह सामान्यतः अपेक्षित है कि राज्य के संसाधनों की प्रवृति इसके व्यय दायित्वों से मेल करना चाहिए। तथापि, संसाधनों एवं व्यय दायित्वों की प्रवृति में किसी अस्थायी बेमेल को ध्यान में रखने हेतु, भारत के रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों (अ.अ.) का एक तंत्र रखा गया है। झारखण्ड की अ.अ. सीमा 51 करोड़ रुपये थी। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने वित्त के इन स्त्रोतों का उपयोग 31 दिनों पर किया।

1.11 अनिर्वाहित दायित्व

राजकोषीय दायित्व - लोक ऋण एवं प्रतिभूतियाँ

भारत का संविधान प्रावधान करता है कि राज्य अपनी समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारत के क्षेत्र के भीतर, ऐसी सीमाओं में, जो समय - समय पर विधान सभा के अधिनियम द्वारा निर्धारित की गयी हो, उधार ले सकता है। तथापि, राज्य द्वारा कोई ऐसा कानून पारित नहीं किया गया।

वित्त लेखा की विवरणी 16 एवं 17 के साथ पठित विवरणी 4, ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों में जिसमें दायित्व संगणित किया जाता है के अंतर्गत वर्षांत शेषों को दर्शाती है। यह अवलोकित किया जायेगा कि राज्य का राजकोषीय दायित्व स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर की तुलना में तेजी से बढ़ा। राज्य का समग्र राजकोषीय दायित्व 2000-01 में 6238 करोड़ रुपये से 2003 - 04 के दौरान 10569 करोड़ रूपये तक बढ़ गया था। राजकोषीय दायित्व के बढ़ने की दर 18.5 प्रतिशत थी। राजकोषीय दायित्व स.रा.घ.उ. के अनुपात में 2002-03 में 26.5 प्रतिशत से 2003-04 में 28.1 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा राजस्व प्राप्तियों से 1.87 गुणा एवं स्वंय के संसाधन से 3.42 गुणा बढ़ गया। तालिका 16 राज्य के राजकोषीय दायित्व, इसकी वृद्धि की दर, इन दायित्वों का स.रा.ध.उ. राजस्व प्राप्तियों तथा अपने संसाधनों से अनुपात तथा इन मानकों के साथ इन दायित्वों की उत्प्लावकता को दर्शाती है।

तालिका 16 : राजकोषीय असंतुलन- मूल प्राचल

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
राजकोषीय दायित्व* (करोड़ रुपये में)	6238	7804	8923	10,569
वृद्धि की दर (प्रतिशत)	नया राज्य	--	14.3	18.5
से राजकोषीय दायित्वों का अनुपात				
स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	**	25.4	26.5	28.1
राजस्व प्राप्तियों (प्रतिशत)	**	173.6	180.7	187.5
स्वंय के संसाधन (प्रतिशत)	**	320.1	326.0	341.8
से राजकोषीय दायित्वों की उत्प्लावकता				
स.रा.ध.उ. (अनुपात)	नया राज्य	#	1.52	1.59
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	नया राज्य	#	1.46	1.30
स्वयं के संसाधन (अनुपात)	नया राज्य	#	1.16	1.42

संयुक्त राज्य बिहार के ऐसे दायित्वों का संविभाजन अभी तक (दिसम्वर 2004) उत्तर वर्त्ती राज्य बिहार एवं झारखण्ड के मध्य नहीं हुआ है। प्रतिभूति से संबंधित सूचनायें, यदि कोई है, झारखण्ड सरकार द्वारा दी गयी हो ,सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है।

बढते दायित्वों ने राज्य सरकार के वित्त की अविच्छिन्नता का मुद्दा उठा दिया था।

राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजकोषीय दायित्वों की वृद्धि

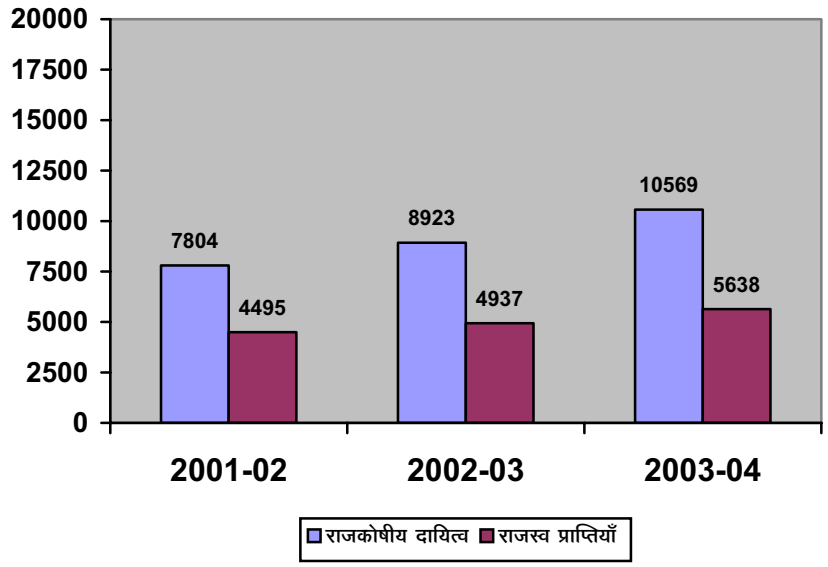

* यहाँ दिखाये गये आँकड़े, उत्तरवर्त्ती राज्य बिहार एवं झारखण्ड के मध्य अभियोजन लम्बित होने से 14 नवम्बर 2000 को संयुक्त राज्य बिहार की भविष्य निधि आदि के शीर्षों, आरक्षित निधियों तथा जमा से संबंधित दायित्वों को छोड़कर है।

** झारखण्ड का निर्माण 15 नवम्बर 2000 को हुआ था, इसलिए अनुपात संगणित नहीं किया गया।

\# तुलनीय नहीं

ऋण अविच्छिन्नता का एक मुख्य सूचक मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान के बाद निधियों की शुद्ध उपलब्धता है।

नीचे तालिका 17 पिछले चार वर्षों के आंतरिक ऋण की प्राप्ति एवं पुर्नभुगतान की स्थिति देती है। 2000-04 के दौरान ब्याज एवं पुर्नभुगतान का प्रावधान करने के बाद भारत सरकार से प्राप्त आंतरिक ऋण तथा ऋण एवं अग्रिमों में उपलब्ध शुद्ध निधियाँ 57 प्रतिशत से 19 प्रतिशत तक अवनत हुई जो मूल रूप से भारत सरकार से अधिक मूल्य पर उधार के ऋण के कारण हुआ।

तालिका 17 - उधार ली गयी निधियों की शुद्ध उपलब्धता

(करोड़ रुपये में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
आंतरिक ऋण*				
प्राप्तियाँ	175	1208	1482	1951
पुर्नभुगतान (मूल+ ब्याज)	54	107	748	653
शुद्ध उपलब्ध निधियाँ	121	1101	734	1298
शुद्ध उपलब्ध निधियाँ (प्रतिशत)	69	91	50	67
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम				
प्राप्तियाँ	143	389	408	471
पुर्नभुगतान (मूल+ ब्याज)	82	663	1354	1304
शुद्ध उपलब्ध निधियाँ	61	#	#	#
शुद्ध उपलब्ध निधियाँ (प्रतिशत)	43	#	#	#
कुल लोक ऋण				
प्राप्तियाँ	318	1597	1890	2422
पुर्नभुगतान (मूल + ब्याज)	136	770	2102	1957
शुद्ध उपलब्ध निधियाँ	182	827	#	465
शुद्ध उपलब्ध निधियाँ(प्रतिशत)	57	52	#	19

 # निधि की उपलब्धता ऋणात्मक थी।

राज्य सरकार ने नीलामियों के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर ब्याज ऋण उठाने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया। 31 मार्च 2004 को राज्य सरकार के वर्त्तमान 55 प्रतिशत बाजार ऋणों ने 10 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर वहन किया। इस प्रकार, इसके पिछले ऋणों पर उधारों की प्रभावी लागत दर, जिस पर वे अब बाजार से संसाधन उठाने में समर्थ है, से काफी उच्चतर है। राज्य सरकार के बाजार ऋणों की परिपक्वता रेखा चित्र सूचित करता है कि कुल बाजर ऋणों का लगभग 34 प्रतिशत अगले पाँच वर्षों के भीतर पुर्नभुगतान के योग्य है जबकि शेष 66 प्रतिशत ऋणों को 6 से 13 वर्षों के भीतर पुर्नभुगतान करना आवश्यक है।

* अर्थोपाय अग्रिमों के अंतरिक ऋण को छोड़ कर।

1.12 घाटे का प्रबंधन

राजकोषीय असंतुलन

सरकारी लेखा में घाटा, इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अंतराल को निरूपित करता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के विवेक की सूचक है। तदन्तर, साधन जिसमें घाटा वित्तपोषित किया जाता है तथा इस प्रकार उठायी गयी संपत्तियाँ प्रयुक्त की जाती है, राजकोषीय दक्षता के महत्वपूर्ण सूचक हैं।

यह अवलोकित किया जायेगा कि 2003-04 में 232 करोड़ रुपये का राजस्व आधिक्य था जो 2002-03 में 572 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य है। राजकोषीय घाटा जो सरकार के समग्र उधार और इसके कुल संसाधन अंतराल को निरूपित करता है 2002-03 में 1720 करोड़ रुपये से 2003-04 में 874 करोड़ रुपये तक घट गया। सरकार के पास प्राथमिक घाटा 2002-03 में 301 करोड़ रुपये से 2003-04 में प्राथमिक आधिक्य 308 करोड़ रुपये तक बढ़ गया था जैसा कि तालिका 18 में दर्शाया गया है।

तालिका 18: राजकोषीय असंतुलन-मूल प्राचल

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
राजस्व घाटा (-) आधिक्य (+) (करोड़ रुपये में)	(+) 825	(-) 305	(-) 572	(+) 232
राजकोषीय घाटा (-)आधिक्य (+) (करोड़ रुपये में)	(+) 642	(-) 1365	(-) 1720	(-) 874
प्राथमिक घाटा (-)आधिक्य (+) (करोड़ रुपये में)	(+) 561	(-) 797	(-) 301	(+) 308
रा.घा./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	(+) 7.6	(-) 1.0	(-) 1.7	(+) 0.6
रा.घा./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	(+) 5.9	(-) 4.4	(-) 5.1	(-) 2.3
प्रा.घा./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	(+) 5.2	(-) 2.6	(-) 0.9	(+) 0.8
रा.घा./वि.घा. (प्रतिशत)	(-) 128.5	22.3	33.3	(-) 26.5

1.13 राजकोषीय अनुपात

राज्य का वित्त कायमता योग्य, लचीला एवं अभेद्य होना चाहिए। नीचे तालिका 19, 2003-04 के सरकारी वित्त की संक्षेपित स्थिति कुछ मूल संकेतकों के संदर्भ में प्रस्तुत करती है। ये उपलब्ध संसाधनों एवं उनके अनुप्रयोगों की पर्याप्तता एवं कारगरता अनुमानित करने, तथा इसके महत्वपूर्ण पक्षों को अभिग्रहित करने में सहायक होते हैं।

स.रा.घ.उ. से राजस्व प्राप्तियों एवं राज्य के स्वंय के करों का अनुपात संसाधनों की प्रर्याप्तता को सूचित करता है। राजस्व उत्प्लावकता को सूचित करती राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के कर एवं कर-भिन्न राजस्व तक ही सन्निहित नहीं है परन्तु इसमें संघ सरकार से स्थानान्तरण भी है। स.रा.घ.उ. से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 2002-03 में 14.7

प्रतिशत से 2003-04 में 15 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा स.रा.घ.उ. से स्वंय के कर का अनुपात 2002-03 में 5.2 प्रतिशत से 2003-04 में 5.3 प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ गया।

राज्य के व्यय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न अनुपात इसके व्यय की गुणवत्ता तथा इसके संसाधन संगठन प्रयासों के संबन्ध में इनकी कायमता सूचित करती है। कुल व्यय से राजस्व व्यय की प्रतिशतता 2002-03 में 82.7 से 2003-04 में 83 प्रतिशत थोड़ी सी बढ गयी है, कुल व्यय से विकासशील व्यय की प्रतिशतता भी 2002-03 में 56.3 प्रतिशत से 2003-04 में 58.6 प्रतिशत तक बढ़ गयी है। इसके राजस्व और कुल व्यय दोनों की जब इसकी राजस्व प्राप्तियों से तुलना की जाती है तो तुलनात्मक रूप से उत्प्लावकता कमतर दिखायी देती है। ये सभी दर्शाते है कि राज्य राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उधारों पर आश्रित नहीं है जबकि राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का प्रतिशत दर्शाता है कि राज्य की उधारों पर आश्रयता इसकी विकासशील गतिविधियों के विस्तार पर पूँजीगत व्यय को पूरा करने के लिए है।

तालिका 19 राजकोषीय दक्षता के सूचक

(प्रतिशत में)

राजकोषीय सूचक	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
संसाधनों का संघटन				
राजस्व प्राप्तियाँ/स.रा.घ.उ.	18.1	14.6	14.7	15.0
राजस्व उत्प्लावकता	----	----	1.04	1.22
स्वंय के कर/स.रा.घ.उ.	6.5	5.2	5.2	5.3
व्यय प्रबंधन				
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	12.2	19.0	19.8	17.3
राजस्व प्राप्तियाँ /कुल व्यय	148.5	76.7	74.1	86.5
राजस्व व्यय/कुल व्यय	86.1	81.9	82.7	83.0
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय (रा.व्य.+ पूँ.व्य.)	12.4	13.3	13.6	15.3
विकासशील व्यय/कुल व्यय (रा.व्य.+ पूँ.व्य.)	62.5	66.6	56.3	58.6
रा.प्रा. से कु.व्य. की उत्प्लावकता	----	2.66	1.38	(-) 0.15
रा.प्रा. से रा.व्य. की उत्प्लावकता	----	2.49	1.50	(-) 0.13
राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन				
राजस्व घाटा (-) आधिक्य (+) (करोड़ रुपये में)	(+) 825	(-) 305	(-) 572	(+) 232
राजकोषीय घाटा/(-) आधिक्य (+) (करोड़ रुपये में)	(+) 642	(-) 1365	(-) 1720	(-) 874
प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (करोड़ रुपये में)आधिक्य (+)	(+) 561	(-) 797	(-) 301	(+) 308
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	(-) 128.5	22.3	33.3	- 26.5
राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन				
राजकोषीय दायित्व /स.रा.घउ.	57.5	25.4	26.5	28.1
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	317.6	173.6	180.7	187.5
रा.प्रा. से वि.दा.की उत्प्लावकता	--	19.47	1.46	1.30
अ.प्रा. से रा.दा.की उत्प्लावकता	नया राज्य	19.83	1.16	1.42
ब्याज बढ़त	--	--	(-) 7.54	(-) 0.53
लोक ऋण लेखा में शुद्ध उपलब्ध निधि	57	52	(-) 11	19
अन्य राजकोषीय दक्षता सूचक				
बी सी आर (करोड़ रुपये में)	--	599	(-) 2	847
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/दायित्व (प्रतिशत में)	--	34	33	44

1.14 उपसंहार

अपने सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचना का आधार बढ़ाने तथा अतिरिक्त आय उत्पादक परिसंपत्तियाँ सृजित करने हेतु उधार लेना, राज्य के लिए असामान्य नहीं है। तथापि वर्ष दर वर्ष वृहत वित्तीय घाटे, निवेशों पर कम अथवा नगण्य वापसी राज्य की वित्तीय कायमता को धीरे-धीरे प्रभावित करती है। हानि उठा रही कम्पनियों में निवेश कायमता योग्य नहीं है। परिसम्पत्तियों से दायित्व का अनुपात कम होने का आंशिक कारण यह है कि जब कि राज्य ने 5991 करोड़ रुपये का लोक ऋण दायित्व संयुक्त राज्य बिहार से उत्तराधिकार में पाया है और परिसम्पत्तियों का बँटवारा अभी तक नहीं हुआ है (दिसम्वर 2004) । बाजार उधारों द्वारा ब्याज की कम दर पर उच्च मूल्य का ऋण लेना सही दिशा में उठाया गया कदम है। राज्य को या तो अपनी वर्त्तमान परिसम्पत्तियों से अधिक राजस्व उत्पन्न करना है या इससे ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए चालू राजस्व प्रदान करना है। राज्य को केन्द्र सरकार और अन्य दूसरे प्रगतिशील राज्यों को आदर्श मानते हुए राजकोषीय क्रियाकलापों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मध्यम आकार में वृहत राजकोषीय स्थापित करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व विपत्र पास करने का प्रयास करना चाहिए।